HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13644/2025

Suresh Kumar S/o Shri Kheta Ram, Aged About 20 Years, Resident Of Ambedkar Nagar, Chibi, Lapundea Tarli, Tehsil Gida, District Balotra (Present Lodged At District Jail, Balotra)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Likhama Ram S/o Jugta Ram, Resident Of Malwa Goylan, Gida, District Balotra

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Deepak Menaria
For Respondent(s)	:	Mr. Sameer Pareek, PP Mr. Muktesh Maheshwari

---

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

25/03/2026

01. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना गिड़ा जिला बालोतरा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 104/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 126(2), 127(3), 308(2), 78(2), 64(2)(एम), 70(1), 140(3), 61(2) बी.एन.एस. व धारा 5(G)(L)/6, 5(J)(II)/6 पोक्सो एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में पीड़िता के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान के आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध चालान पेश किया गया है। जबकि स्वयं पुलिस द्वारा अपनी तफ्तीश के पश्चात जो चालान पेश किया है, उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि गुमशुदगी की जांच में पीड़िता ने अपनी मर्जी से प्रार्थी–अभियुक्त के साथ जाना और लीव–इन–रिलेशनशिप के कागजात प्रार्थी–अभियुक्त के साथ के तैयार करवाना और प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित आरोपों के संबंध में बयान में कोई उल्लेख नहीं करना बताया गया था और स्टाम्प खरीदते वक्त पीड़िता का भी साथ होना स्पष्ट रूप से पुलिस द्वारा अनुसंधान में पाया गया है और पीड़िता व प्रार्थी–अभियुक्त का स्कूल समय से एक–दूसरे से सम्पर्क में होना भी अनुसंधान में पाया गया है। दिनांक 18.08.2025 को सुरेश व कमला शादी की नियत से घर से भागना सी.डी.आर. व मैसेज संबंधी फर्द से

स्पष्ट होना अंकित किया गया है। ऐसी सूरत में इस मामले में विचारण में समय लगने की संभावना होना बताते हुए जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि धारा 183 बी.एन.एस.एस. में पीड़िता ने प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा 7 बार गलत काम करना बताया है, जो डरा–धमकाकर करना बताया है और habeas corpus की रिट प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा पेश की गई थी, जिसमें पीड़िता ने स्वयं अपने माता–पिता के साथ जाने का कथन करने पर रिट याचिका निस्तारित की गई है। इस आधार पर गंभीर प्रकृति का मामला होना बताते हुए प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत प्रार्थना–पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। इस मामले में चालान रिपोर्ट में पैरा संख्या 1 से 6 में जो तथ्य अंकित किए गए हैं, उस पर विचार किया गया पीड़िता की उम्र वर्तमान में धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान के मुताबिक 19 वर्ष होना अंकित की गई है।

06. इस स्टेज पर बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **सुरेश कुमार पुत्र खेताराम** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

24-mayank/-